

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 693/2024  
अनवान : -

1. मदनलाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. धर्मपाल सुथार पुत्र रामेश्वर जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. चन्द्रकला पुत्री रामेश्वर जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. गीता देवी पुत्री रामेश्वर जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. अशोक कुमार पुत्र चेताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. पालाराम पुत्र चेताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 171/42 के कुल खसरे 28 का कुल क्षेत्रफल 3.6420 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 42/19 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 3.6180 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 4 व 5 जो कि वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रिया है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से काबिज है :- रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के प० नं० 311/370 (74) के किला नं. 5/1 की 0.025 है०, 5/2 की 0.228 है०, 6 की 0.253 है०, 15 की 0.253 है०, 16/1 की 0.025 है०, 16/2 की 0.228 है०, 25 की 0.253 है०, व प० नं० 318/372 (93) के किला नं. 6/2 की 0.012 है०, 6/4 की 0.152 है०, 14/1 की 0.190 है०, 15/2 की 0.012 है०, 15/3 की 0.164 है० कुल रकबा 1.795 है० जिसमें नहरी-0.633 है०, बारानी प्रथम-1.088 है०, बारानी-0.049 है० व खाला-0.025 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है एवं प० नं० 312/370 (73) के किला

अ. अ. अ. अधिकारी  
नोहर

नं. 1/1 की 0.025 है0,, 1/2 की 0.228 है0, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 20/1 की 0.026 है0, 20/2 की 0.227 है0, 21 की 0.253 है0 व प0 नं0 319/372 (92) के किला नं. 9/1 की 0.089 है0, 10/2 की 0.089 है0, 11/1 की 0.190 है0, 12/1 की 0.190 है0 कुल रकबा 1.823 है0 जिसमें नहरी-0.658 है, बारानी प्रथम-1.114 है0, रास्ता-0.025 है0, खाला-0.026 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 काबिज है एवं प0 नं0 319/372 (92) के किला नं. 11/2 की 0.063 है0, 12/2 की 0.063 है0, 19/2 की 0.126 है0, 20/2 की 0.127 है0 प0 नं0 318/372 (93) के किला नं. 6/1 की 0.013 है0, 6/3 की 0.076 है0, 7 की 0.253 है0, 14/2 की 0.063 है0, 15/1 की 0.013 है0, 15/4 की 0.063 है0, 16/2 की 0.114 है0, 16/4 की 0.012 है0, 17/2 की 0.126 है0, कुल रकबा 1.112 है0 जिसमें नहरी-0.0329 है0, बारानी प्रथम-0.745 है0, रास्ता-0.038 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं प0 नं0 311/370 (74) के किला नं. 3/1 की 0.025 है0, 3/2 की 0.228 है0, 8 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0, 18 की 0.253 है0, 23 की 0.253 है कुल रकबा 1.265 है0 जिसमें बारानी प्रथम 1.240 है0 रास्ता-0.025 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं प0 नं0 311/370 (74) के किला नं. 4/1 की 0.025 है0, 4/2 की 0.228 है0, 7 की 0.253 है0 कुल रकबा 0.506 है0 जिसमें बारानी प्रथम-0.481 है0, रास्ता -0.025 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं प0 नं0 311/370(74) के किला न. 14 की 0.253 है0, 17/1 की 0.025 है0, 17/2 की 0.026 है0, 17/3 की 0.202 है0, 24/1 की 0.025 है0, 24/2 की 0.228 है0 कुल रकबा-0.759 है0 जिसमें नहरी-0.430 है0, बारानी प्रथम-0.253 है0, खाला-0.076 है0 भूमि पर वादी काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक समझौता वाद भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

असल अधिकारी  
बोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 4 व 5 जो कि वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रिया है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है पक्षकारान के बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा ही काबिज है एवं बंटवारा के अनुसार ही वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 171/42 के कुल खसरे 28 का कुल क्षेत्रफल 3.6420 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 42/19 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 3.6180 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 4 व 5 जो कि वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रिया है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है पक्षकारान के बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा ही काबिज है एवं बंटवारा के अनुसार ही वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के प० नं० 311/370 (74) के किला नं. 5/1 की 0.025 है०, 5/2 की 0.228 है०, 6 की 0.253 है०, 15 की 0.253 है०, 16/1 की 0.025 है०, 16/2 की 0.228 है०, 25 की 0.253 है०, व प० नं० 318/372 (93) के किला नं. 6/2 की 0.012 है०, 6/4 की 0.152 है०, 14/1 की 0.190 है०, 15/2 की 0.012 है०, 15/3 की 0.164 है० कुल

रकबा 1.795 है0 जिसमें नहरी-0.633 है0, बारानी प्रथम-1.088 है0, रास्ता-0.049 है0 व खाला-0.025 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 312/370 (73) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0, 1/2 की 0.228 है0, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 20/1 की 0.026 है0, 20/2 की 0.227 है0, 21 की 0.253 है0 व प0 नं0 319/372 (92) के किला नं. 9/1 की 0.089 है0, 10/2 की 0.089 है0, 11/1 की 0.190 है0, 12/1 की 0.190 है0 कुल रकबा 1.823 है0 जिसमें नहरी-0.658 है, बारानी प्रथम-1.114 है0, रास्ता-0.025 है0, खाला-0.026 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 319/372 (92) के किला नं. 11/2 की 0.063 है0, 12/2 की 0.063 है0, 19/2 की 0.126 है0, 20/2 की 0.127 है0 प0 नं0 318/372 (93) के किला नं. 6/1 की 0.013 है0, 6/3 की 0.076 है0, 7 की 0.253 है0, 14/2 की 0.063 है0, 15/1 की 0.013 है0, 15/4 की 0.063 है0, 16/2 की 0.114 है0, 16/4 की 0.012 है0, 17/2 की 0.126 है0, कुल रकबा 1.112 है0 जिसमें नहरी-0.0329 है0, बारानी प्रथम-0.745 है0, रास्ता-0.038 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 311/370 (74) के किला नं. 3/1 की 0.025 है0, 3/2 की 0.228 है0, 8 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0, 18 की 0.253 है0, 23 की 0.253 है कुल रकबा 1.265 है0 जिसमें बारानी प्रथम 1.240 है0 रास्ता-0.025 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 311/370 (74) के किला नं. 4/1 की 0.025 है0, 4/2 की 0.228 है0, 7 की 0.253 है0 कुल रकबा 0.506 है0 जिसमें बारानी प्रथम-0.481 है0, रास्ता -0.025 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 311/370(74) के किला न. 14 की 0.253 है0, 17/1 की 0.025 है0, 17/2 की 0.026 है0, 17/3 की 0.202 है0, 24/1 की 0.025 है0, 24/2 की 0.228 है0 कुल रकबा-0.759 है0 जिसमें नहरी-0.430 है0, बारानी प्रथम-0.253 है0, खाला-0.076 है0 भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है खाता व लगान मुताबिक नजरिया नक्शा अलग-अलग किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के नाम रहन को यथावत रखते राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (पंकज गढ़वाल R.A.S)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलक्टर  
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 693/2024

अनवान : -

1. मदनलाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. धर्मपाल सुथार पुत्र रामेश्वर जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. चन्द्रकला पुत्री रामेश्वर जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. गीता देवी पुत्री रामेश्वर जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. अशोक कुमार पुत्र चेताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. पालाराम पुत्र चेताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 693 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/08/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के प0 नं0 311/370 (74) के किला नं. 5/1 की 0.025 है0, 5/2 की 0.228 है0, 6 की 0.253 है0, 15 की 0.253 है0, 16/1 की 0.025 है0, 16/2 की 0.228 है0, 25 की 0.253 है0, व प0 नं0 318/372 (93) के किला नं. 6/2 की 0.012 है0, 6/4 की 0.152 है0, 14/1 की 0.190 है0, 15/2 की 0.012 है0, 15/3 की 0.164 है0 कुल रकबा 1.795 है0 जिसमें नहरी-0.633 है0, बारानी प्रथम-1.088 है0, रास्ता-0.049 है0 व खाला-0.025 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 312/370 (73) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0, 1/2 की 0.228 है0, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 20/1 की 0.026 है0, 20/2 की 0.227 है0, 21 की 0.253 है0 व प0 नं0 319/372 (92) के किला नं. 9/1 की 0.089 है0, 10/2 की 0.089 है0, 11/1 की 0.190 है0, 12/1 की 0.190 है0 कुल रकबा 1.823 है0 जिसमें नहरी-0.658 है, बारानी प्रथम-1.114 है0, रास्ता-0.025 है0, खाला-0.026 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 319/372 (92) के किला नं. 11/2 की 0.063 है0, 12/2 की 0.063 है0, 19/2 की 0.126 है0, 20/2 की 0.127 है0 प0 नं0 318/372 (93) के किला नं. 6/1 की 0.013 है0, 6/3 की 0.076 है0, 7 की 0.253 है0, 14/2 की 0.063 है0, 15/1 की 0.013 है0, 15/4 की 0.063 है0, 16/2 की 0.114 है0, 16/4 की 0.012 है0, 17/2 की 0.126 है0, कुल रकबा 1.112 है0

01

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

जिसमें नहरी-0.0329 है0, बारानी प्रथम-0.745 है0, रास्ता-0.038 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 311/370 (74) के किला नं. 3/1 की 0.025 है0, 3/2 की 0.228 है0, 8 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0, 18 की 0.253 है0, 23 की 0.253 है कुल रकबा 1.265 है0 जिसमें बारानी प्रथम 1.240 है0 रास्ता-0.025 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 311/370 (74) के किला नं. 4/1 की 0.025 है0, 4/2 की 0.228 है0, 7 की 0.253 है0 कुल रकबा 0.506 है0 जिसमें बारानी प्रथम-0.481 है0, रास्ता -0.025 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 311/370(74) के किला न. 14 की 0.253 है0, 17/1 की 0.025 है0, 17/2 की 0.026 है0, 17/3 की 0.202 है0, 24/1 की 0.025 है0, 24/2 की 0.228 है0 कुल रकबा-0.759 है0 जिसमें नहरी-0.430 है0, बारानी प्रथम-0.253 है0, खाला-0.076 है0 भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है खाता व लगान मुताबिक नजरिया नक्शा अलग-अलग किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के नाम रहन को यथावत रखते राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर